पंजीकरण पुस्तिका
2018

दीपावली के शुभ अवसर पर भवनों का पंजीकरण प्रारम्भ

पंजीकरण प्रारम्भ
दिनांक 05 नवम्बर, 2018
से 05 जनवरी, 2019 तक

जागृति विहार (विस्तार)

योजना संख्या-11, सेक्टर-5, मेरठ

में 45/75 एवं 31/63 प्रकार के सेमी फिनिश्ड

भवन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

45/75 भवन रेरा पंजीकरण संख्या : UPRERAPRJ17335

31/63 भवन रेरा पंजीकरण संख्या : UPRERAPRJ17333

IS 15700 : 2005
सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.
Website : http://www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, सेक्टर-5, मेरठ के विशेष आकर्षण

- जागृति विहार (विस्तार) यो.सं.–11 मेरठ के सेक्टर–5 में 31/63 एवं 45/75 प्रकार के भवन (सेमी फिनिस्ड) सामान्य श्रेणी भवनों का पंजीकरण। आनलाइन पंजीकरण के लिये www.upavp.in पर लॉग आन करें।
- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा मेरठ नगर में वर्ष 1973 से योजनायें विकसित की जानी प्रारम्भ की गयीं।
- मेरठ नगर में अब तक कुल 9 योजनायें विकसित की गयीं जिनमें मंगल पाण्डे नगर, शास्त्री नगर एवं जागृति विहार मेरठ की पॉश कॉलोनियों में हैं।
- कुल 1400 एकड़ क्षेत्र का विकास किया गया एवं 27000 सम्पत्तियाँ सृजित कर आवंटित की गई।
- मेरठ शहर का प्रथम मल्टीप्लेक्स पी०वी०एस० मॉल शास्त्री नगर योजना में।
- परिषद योजनाओं में प्राथमिक विद्यालय से डिग्री कॉलेज तक की सुविधा।
- परिषद योजनाओं में भारत संचार निगम लि०, एस.जी.एस.टी, सी.जी.एस.टी. व वाणिज्य कर व भविष्य निधि कार्यालय के साथ ही अन्य विभागों के कार्यालय।
- परिषद योजनाओं में सभी प्रतिष्ठित दूरसंचार (सेलुलर) कम्पनियों के कार्यालय।
- प्रस्तावित योजना जागृति विहार (विस्तार), वर्तमान जागृति विहार योजना व शास्त्री नगर योजना से सटी हुयी। योजना में मुख्य सड़क, नाली, सीवर, जलापूर्ति, पानी की टंकियों आदि का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- लाला लाजपत राय मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) व अन्य प्रतिष्ठित अस्पतालों के समीप स्थित।
- चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय व सम्बद्ध व्यवसायिक संस्थानों के समीप स्थित।
- प्रस्तावित योजना से होकर मेरठ नगर की इनर रिंग रोड प्रस्तावित।
- मैट्रो स्टेशन योजना के समीप एवं रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का स्टेशन प्रस्तावित।

एक परिचय

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

(अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।

(स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।

(द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों व दिव्यांगों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।

(ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त उपनगरीय क्षेत्रों में भी आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराना।

(न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।

(फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे–विद्युत– आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित कराना।

परिषद की योजनाओं में उपलब्ध सम्पत्तियों का आवंटन/प्रदेशन पंजीकृत आवेदकों के मध्य लाटरी द्वारा किया जाना।

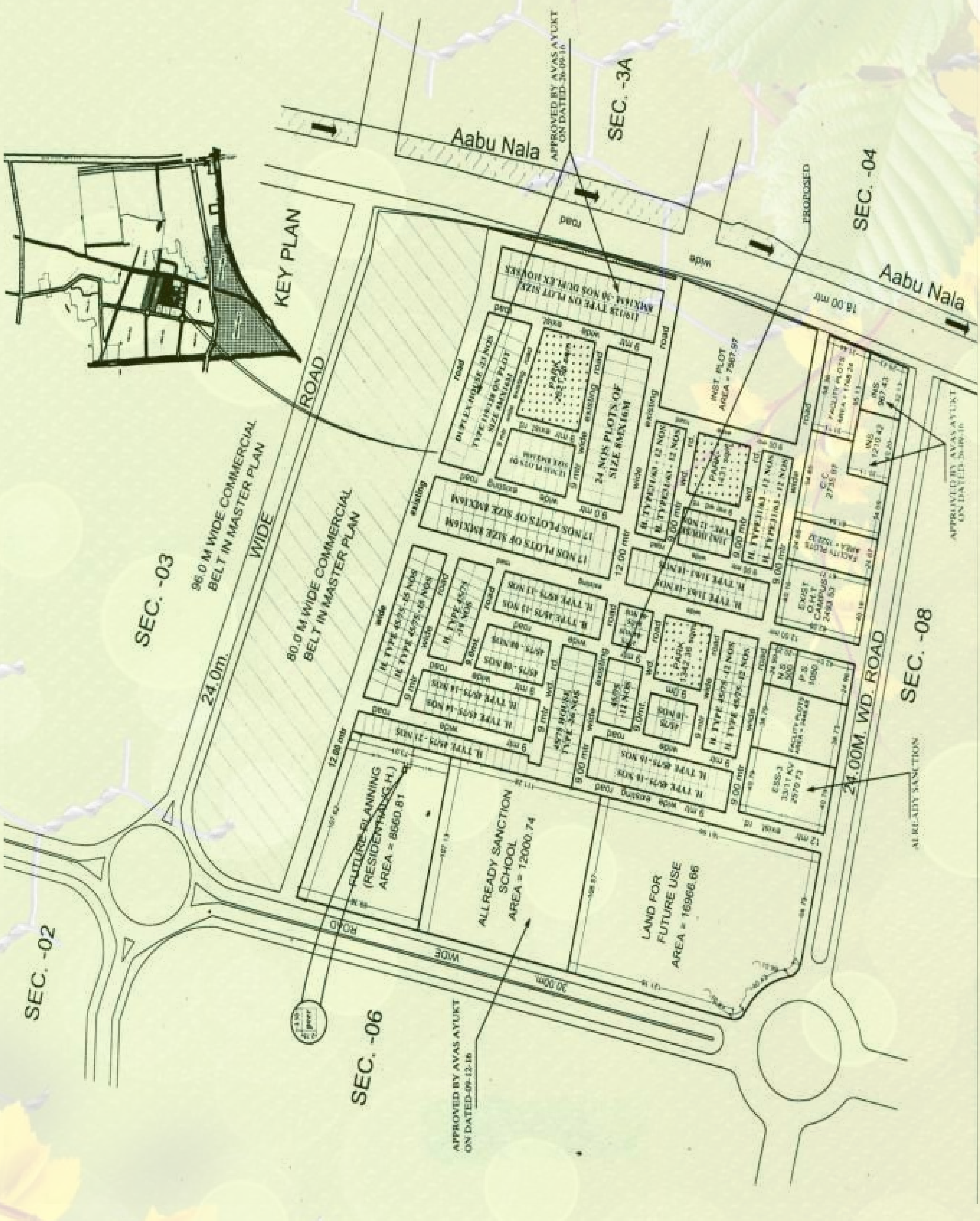
KEY PLAN
SEC. -3A
Aabu Nala
APPROVED BY AVAS AYUKT ON DATED-20-09-16
SEC. -04
PROPOSED
Aabu Nala
18.00 mtr
INST. PLOT AREA = 7987.97
24 NOS PLOTS OF SIZE 8MX16M
17 NOS PLOTS OF SIZE 8MX16M
SEC. -03
96.0 M WIDE COMMERCIAL BELT IN MASTER PLAN
24.0m. WIDE ROAD
80.0 M WIDE COMMERCIAL BELT IN MASTER PLAN
SEC. -08
24.00M. WD. ROAD
FUTURE PLANNING (RESIDENTIAL G.H.) AREA = 8660.81
ALLREADY SANCTION SCHOOL AREA = 12000.74
LAND FOR FUTURE USE AREA = 16966.66
30.00m WIDE ROAD
SEC. -02
SEC. -06
APPROVED BY AVAS AYUKT ON DATED-09-12-16

लोकेशन मैप

जागृति विहार (विस्तार)

योजना संख्या-11, मेरठ

House Type 45/75

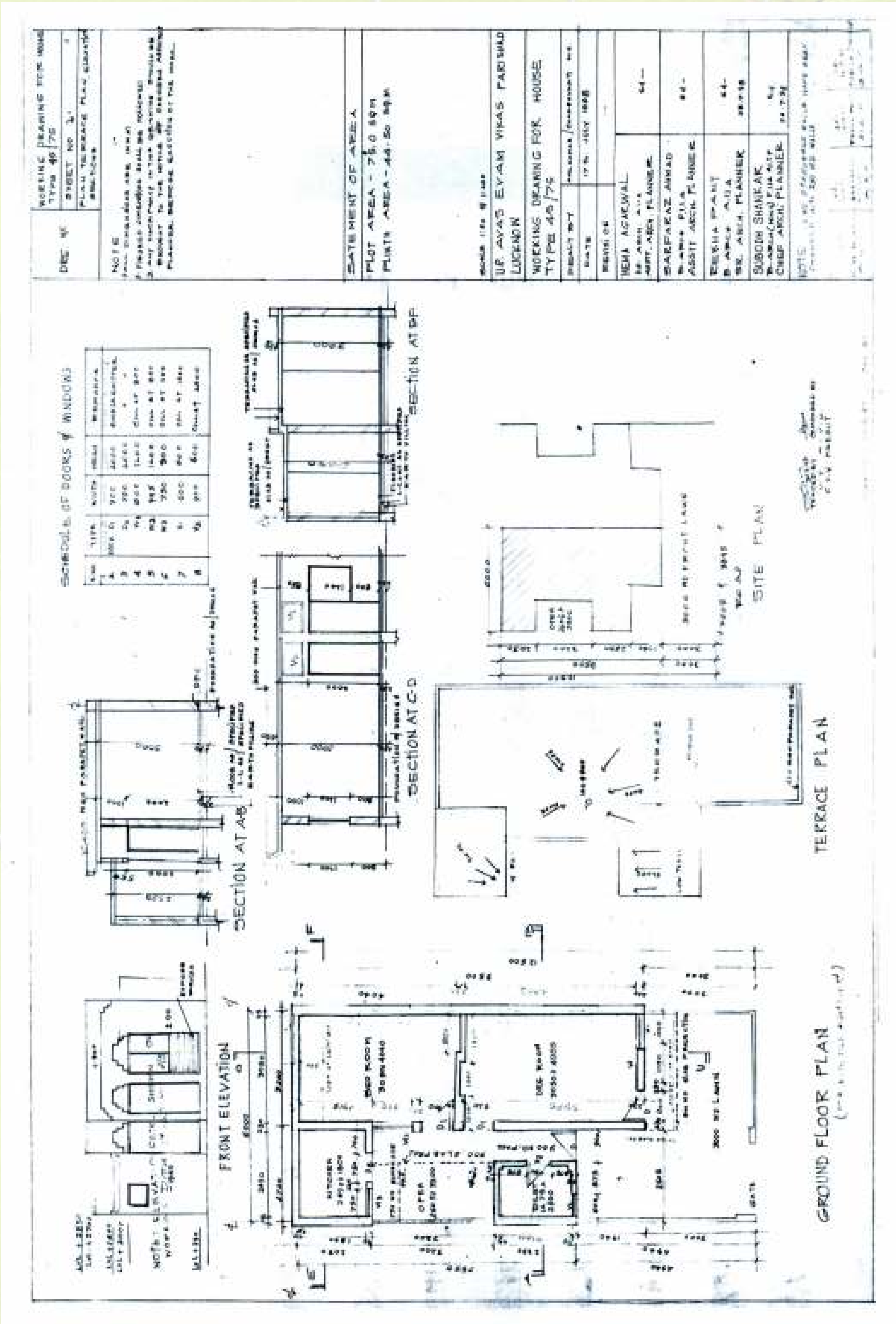

TYPE DESIGN 45/75

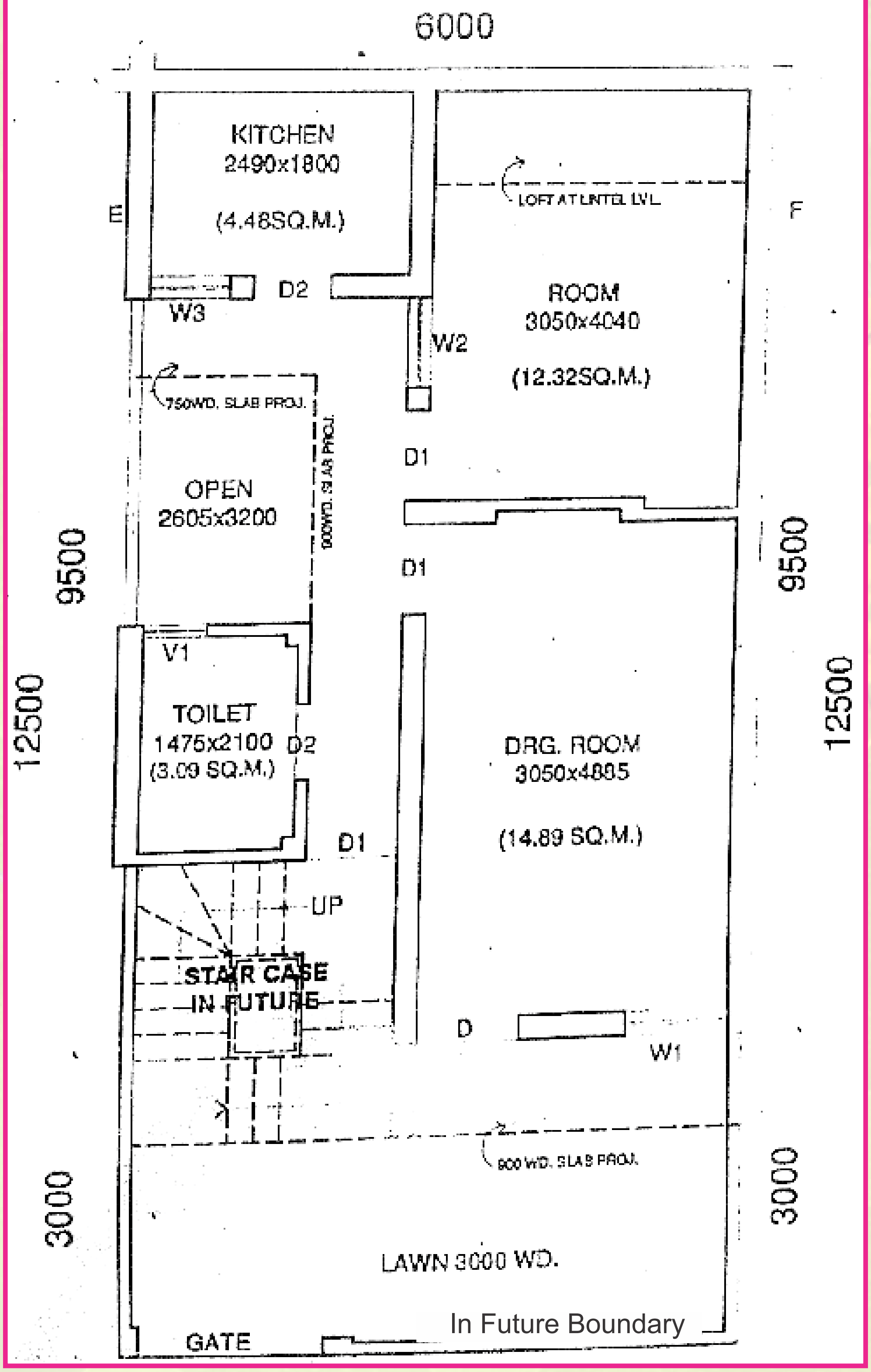

House Type 31/63

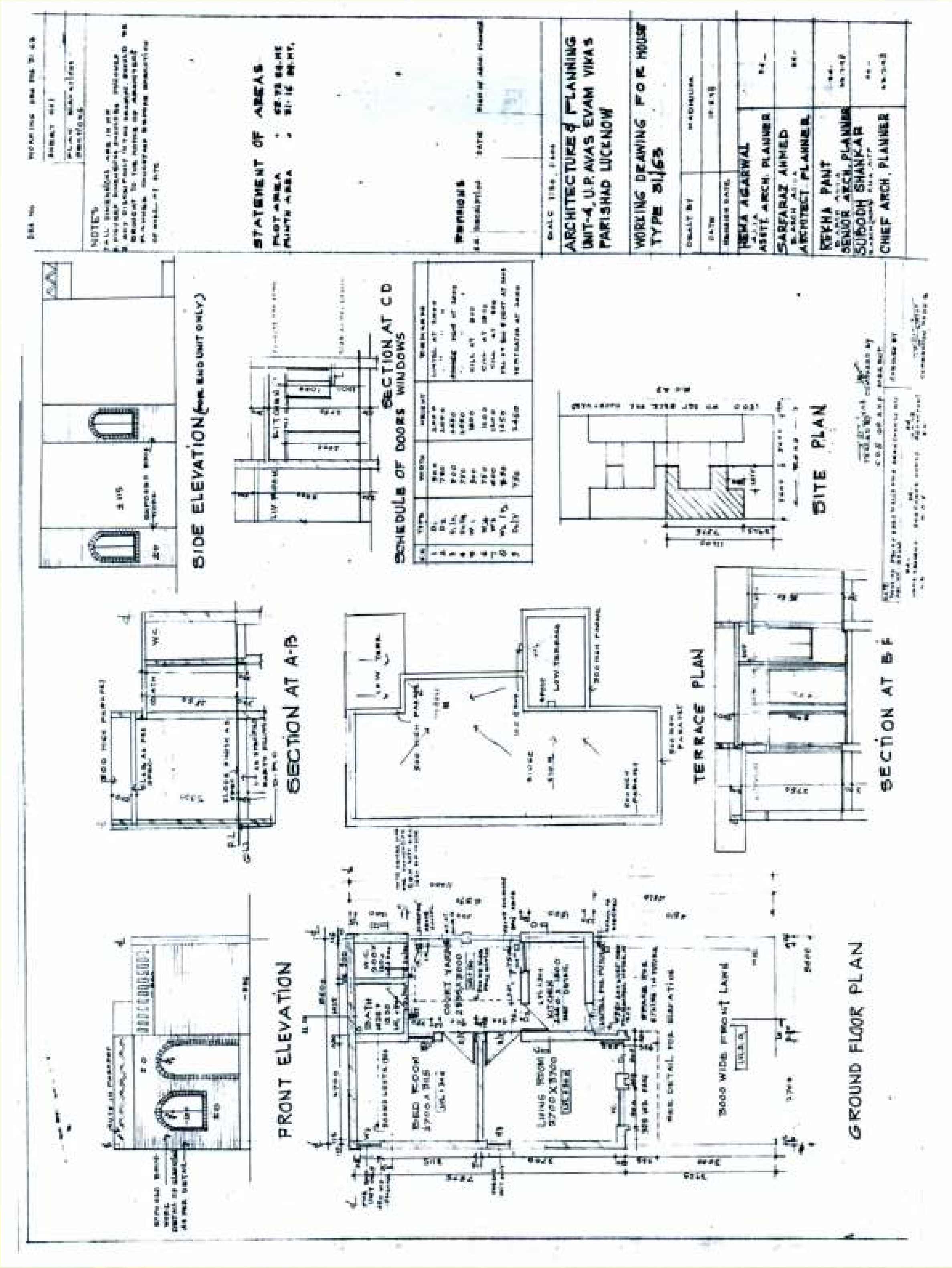

TYPE DESIGN 31/63

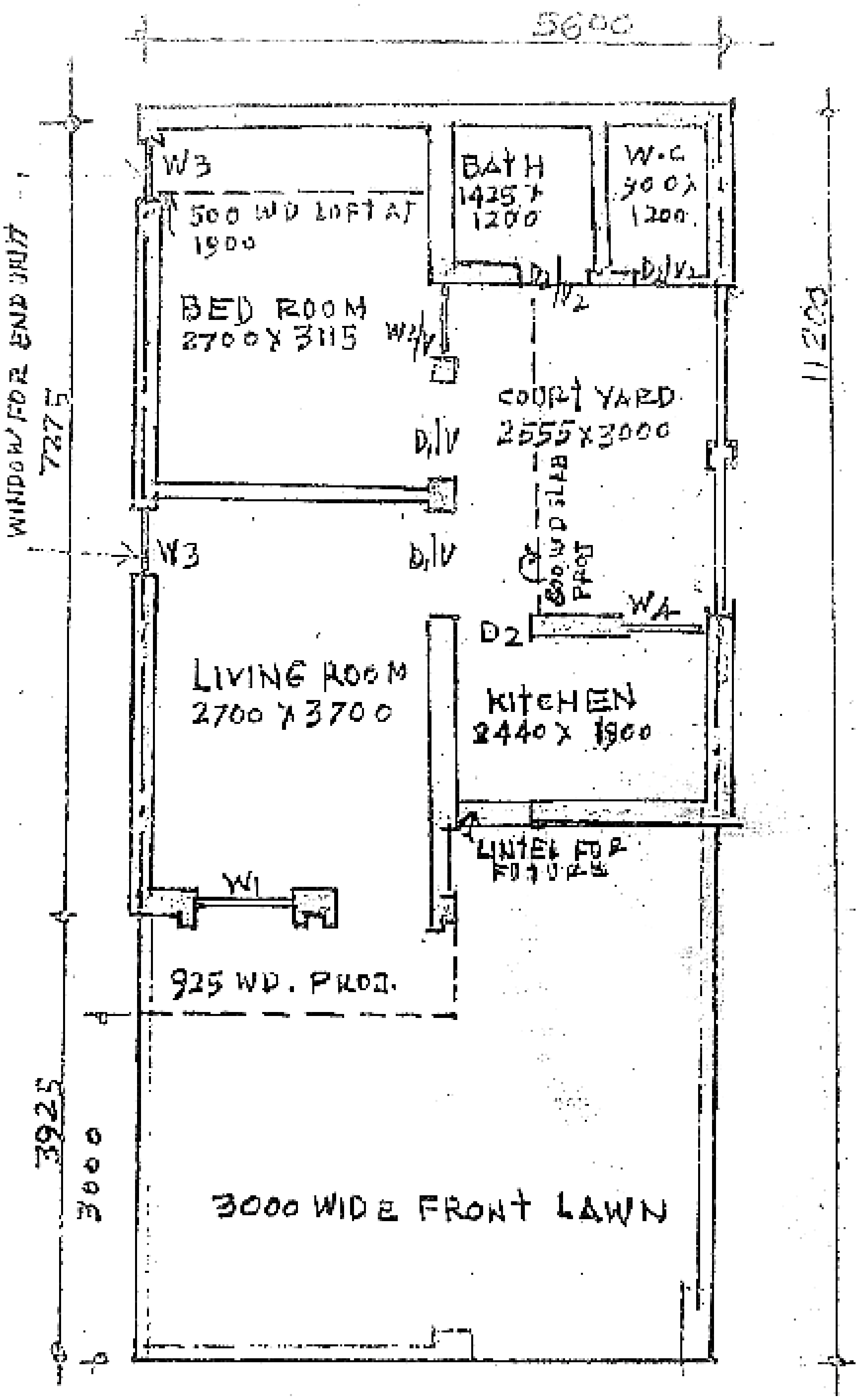

रेरा पंजीकरण संख्या 45/75 Type UPRERAPRJ17335
रेरा पंजीकरण संख्या 31/63 Type UPRERAPRJ17333

(अ)	परियोजना की अनुमानित लागत	–	रु. 1305.29 लाख (45/75) से.फि., रु. 352.65 लाख (31/63) से.फि.
(ब)	परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि	–	01–01–2019
(स)	परियोजना पूर्ण होने की तिथि	–	30–06–2020
(द)	परियोजना में भवन आवंटन/कब्जा की प्रस्तावित तिथि		30–09–2020

भवनों का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	सम्पत्ति की संख्या	कारपेट एरिया (वर्गमी.)	मानक क्षेत्रफल (वर्गमी.)	मानक क्षेत्रफल का भूमि मूल्य 12% फ्री होल्ड शुल्क सहित	निर्माण लागत अनुमानित	भवन का कुल मूल्य (रु. लाख) अनुमानित	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में) 5%	60 दिन में जमा की जाने वाली एकमुश्त धनराशि (रु. लाख में) 30%	अवशेष धनराशि 144 मासिक किश्तों में 10.5% ब्याज सहित देय है, मासिक किश्त की धनराशि अनुमानित
1.	जागृति विहार विस्तार यो.सं.–11 सेक्टर–5	45/75 प्रकार सेमी फिनिश्ड अल्प आय वर्ग	252	44.50	75.00	1788900.00	688180.00	24.77	123900.00	743100.00	19707.00
2.		31/63 प्रकार सेमी फिनिश्ड अल्प आय वर्ग	96	31.00	62.72	1495998.00	488052.00	19.84	99200.00	595200.00	15785.00

- पंजीकरण धनराशि हेतु बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/RTGS/NEFT के माध्यम से "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के नाम जो सम्बन्धित मेरठ शहर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिए।
- न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से परिषद द्वारा आवंटन पत्र में उल्लिखित मूल्य में परिवर्तन करना पड़ता है तो तदानुसार आवंटी को उसका भुगतान करना होगा।

भवनों की विशिष्टियाँ

भवन के निर्माण की पद्धति	लोड बियरिंग स्ट्रक्चर
भवनों की चिनाई का कार्य	1:6 सीमेन्ट एवं कोर्स सैण्ड।
भवनों के प्लास्टर का कार्य	1:6 सीमेन्ट एवं कोर्स सैण्ड।
भवनों में आर.सी.सी. का कार्य	1:1.5:3 सीमेन्ट, कोर्स सैण्ड व स्टोन ग्रिट।
भवनों की छत का कार्य	ब्रिक कोबा का कार्य।
स्ट्रक्चर	लोड बियरिंग वाल स्ट्रक्चर
चौखट	चौखट एम.एस. आयरन।
दरवाजे	फ्लश डोर शटर्स 30 एम.एम. आई.एस.आई. मार्क।
खिडकियाँ	एम.एस. ग्रिल।
डोर फिटिंग्स	आई.एस.आई. मार्क आक्सीडाईज आयरन डोर फिटिंग्स।
रंग–रोगन	बाहरी दीवारों पर स्नोसम, व दरवाजों एवं खिड़कियों पर प्राईमिंग एवं पेंटिंग।
विद्युत	छत व दीवारों में कनसीलड पी.वी.सी. कन्डयूटिंग का कार्य।

2. प्राविधान/शर्तें

2.1 18 माह में परियोजना पूर्ण करके कब्जा दिया जाना प्रस्तावित है।

2.2 सम्पत्ति के वर्तमान निर्धारित मूल्य में अपरिहार्य कारणों, यथा भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि, श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने की स्थितियों में निर्धारित मूल्य में 20 प्रतिशत तक विचलन सम्भव है फलस्वरूप नियत किश्तों की धनराशि में विचलन हो सकता है।

2.3 भवन की टाइप डिजायन व ले–आउट अपरिवर्तनीय है, अपरिहार्य कारणां वश किसी परिवर्तन की आवश्यकता होने पर भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा–14 में वर्णित प्रतिबन्धों/व्यवस्थाओं के अधीन परिवर्तन अनुमन्य होगा।

2.4 भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित सम्पत्ति पर आध्यारोपित कर यथा, जी.एस.टी. ग्रहकर, जल कर आदि का भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।

2.5 पंजीकरण पुस्तिका में अंकित कब्जा दिये जाने की सम्भावित तिथि तक सम्पत्ति निर्माण पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदक की जमा धनराशि पर भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम–2016 के प्राविधानों के अधीन संदेय ब्याज दर एवं क्षतिपूर्ति देय होगी।

2.6 पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त किसी भी विसंगति की स्थिति में भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम–2016 के प्राविधान लागू होंगे।

2.7 कार्नर की सम्पत्ति आवंटन होने पर 10% कार्नर शुल्क भूमि मूल्य पर अतिरिक्त देय होगा।

2.8 भूमि के मूल्य में 12% फ्री होल्ड शुल्क सम्मिलित है।

2.9 परिषद नियमानुसार जल संयोजन शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

2.10 भवन का कब्जा प्राप्त करने पर अनुबन्ध निष्पादन/विक्रय विलेख निष्पादन पर शासनादेश के अनुसार स्टाम्प शुल्क देना होगा।

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.2 आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि को उसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो।

3.3 आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय (एकल भवन/भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा।

3.4 आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहाँ आवासीय (एकल भवन/भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की कोई सम्पत्ति न हो तथा उ.प्र. के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में एक से अधिक सम्पत्ति न हो।

3.5 मध्यम/उच्च आय वर्ग भवनों/स्ववित्त पोषित भवनों तथा भूखण्डों में आय सीमा पर प्रतिबन्धित नहीं है।

3.6 अल्प आय वर्ग के भवनों के आवेदकों हेतु निर्धारित आय सीमा गत वित्तीय वर्ष 6.00 लाख तक होगी।

4. पंजीकरण के नियम

4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिए गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारि बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नकों व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।

4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति–पत्नी के लिए संयुक्त रूप से पंजीकरण अनुमन्य है।

4.4 यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता लाटरी ड्रा की तिथि से पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

4.5 यदि कोई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद परन्तु निर्गत प्रदेशन पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना किसी ब्याज के वापस की जायेगी। प्रदेशन पत्र/मांग पत्र निर्गत होने के तीन माह पश्चात निरस्तीकरण हेतु आवेदन करने पर 50% की कटौती की जायेगी।

4.6 उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा।

4.7 अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुबन्ध की शर्तों के अधीन होगी। अवशेष धनराशि बिना ब्याज के आर.टी.जी.एस. के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी।

4.8 प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खातों पर संदेय ब्याज के अनुसार ब्याज देय होगा।

4.9 भवन निर्माण एवं कब्जे में विलम्ब की स्थिति में भू–सम्पदा विनियमन एवं विकास अधिनियम के प्राविधानों के अधीन कार्यवाही/क्षतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

5. भुगतान का तरीका

(12 वर्ष में मासिक किश्तों में भुगतान) (45/75 एवं 31/63 अल्प आय वर्ग हेतु 12 वर्ष की 144 समान मासिक किश्तों में 10.5% ब्याज सहित)

5.1 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 60 दिन के अन्दर बैंक कार्यदिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में या आन लाईन भी जमा की जा सकेगी। तथा शेष धनराशि 144 मासिक किश्तों में 10.5% ब्याज सहित मासिक किश्तों में देय होगी।

5.2 सम्पत्तियाँ पूर्ण भुगतान/किश्त क्रय पद्धति पर, आवेदकों के आवेदन के आधार पर आवंटित की जायेगी। समीकृत मासिक किश्तों में रु. 10 लाख विक्रय मूल्य की आवासीय सम्पत्तियों पर 9.5 प्रतिशत 10 लाख से 25 लाख तक के विक्रय मूल्य पर 10.5 प्रतिशत, 25 लाख से अधिक सम्पत्तियों पर 11.5 प्रतिशत साधारण ब्याज समाहित होगा। देय धनराशि समयान्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में विलम्ब अवधि हेतु आवंटन पत्र में अंकित ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा, अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार परिषद का होगा।

5.3 आवंटी किसी भी समय अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या से कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एक मुश्त जमा करके किश्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी स्तर से दी जा सकती है। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एक मुश्त जमा किया जा सकता है। उस समय देय अवशेष मूलधन में से 02 प्रतिशत की छूट भी दी जायेगी।

5.4 आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 03 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा, और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।

5.5 भुगतान, मासिक/त्रैमासिक/छमाही एवं वार्षिक किश्तों में अनुमन्य होगा। पंजीकरण के उपरांत मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों के धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/आनलाईन अथवा RTGS/NEFT के माध्यम से किया जा सकेगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक ''उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद/UPAVP'' के नाम जो सम्बन्धित शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिए।

उक्त ड्राफ्ट मांग–पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या, आवेदक का नाम, योजना का नाम, भवन संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर परिषद खाते में जमा करना होगा।

6. सम्पत्ति आवंटन प्रक्रिया

6.1 परिषद / शासन आदेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।

6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा। उक्त आवंटन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत खाते में R.T.G.S. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

6.3 सम्पत्ति का आवंटन आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार पर भवन की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। दो आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी। ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर आवेदक का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा क्योंकि यह सुविधा है, अधिकार नहीं।

6.4 सामान्यतः आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों एवं आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क 1% अथवा परिवर्तन के समय जो दर लागू हो, देने की शर्त के अधीन सक्षम स्तर द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन सम्पत्तियों का विक्रय विलेख निष्पादन से पूर्व ही अनुमन्य होगा।

6.5 पात्रता चयन के एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें पात्रता चयन हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि / कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्बन्धित, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

6.6 सम्पत्ति के विरूद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों को सामान्य श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणीवार पृथक–पृथक करते हुए पृथक–पृथक सूची तैयार की जायेगी।

6.7 सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी।

6.8 लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।

6.9 लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात परिषद वेबसाइट पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी।

6.10 सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन पत्र निर्गमन से पूर्व भू–सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम–2016 के प्राविधानों के अधीन विहित प्रारूप पर बिक्रय करार निष्पादित करना होगा और उक्त करार पत्र के समस्त उपबन्ध बाध्यकारी होंगे तथा उसको नियमानुसार उप निबन्धन कार्यालय में निबन्धन कराना होगा, इस प्रक्रिया में आने वाला व्यय भार आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

7. आरक्षण :

क्र0 सं0	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अर्न्तगत उल्लिखित जातियाँ ही पात्र होगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	----------तदैव----------
3	अन्य पिछडा वर्ग	27	----------तदैव----------
4	मा0 विधायक /सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राविधकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकारण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन–पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत हों एवं न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
7	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण–पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेन्शन पेपर का प्रमाण–पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
8	समाज के दिव्यांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

नोटः– उपरोक्त मे से कमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। कमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशो के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

श्रेणी

7.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7.2 उ.प्र. के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

8. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

8.1 पात्रता चयन के पश्चात असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण धनराशि एक माह के अन्दर परिषद द्वारा यथासम्भव निर्धारित बैंक से RTGS/NEFT के माध्यम से पंजीकरण की धनराशि आवेदक द्वारा दिये खाते में वापस कर दी जायेगी।

9. भवनों का भौतिक कब्जा

9.1 भवनों का निर्माण 18 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

9.2 आवंटन लाटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री करार (Agreement to sale) निष्पादित पंजीकृत कराना होगा।

9.3 बिक्री करार (Agreement to sale) निष्पादन के पश्चात ही आवंटन/मांग पत्र निर्गत होगा।

9.4 आवंटी द्वारा नियमानुसार भवन का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में पूर्ण भुगतान, पंजीयन/सेलडीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

9.5 उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा कब्जा पत्र निर्गत करने की तिथि से दो माह के अन्दर भवन का कब्जा न लेने पर आवंटी को अनुबन्ध में उल्लिखित विवरण के अनुसार विलम्ब शुल्क रु. 20/– प्रतिदिन की दर से देना होगा।

10. तथ्यों का छिपाना

10.1 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

11. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्त

11.1 योजना आवासीय है। अतः भवन का प्रयोग केवल आवास हेतु ही किया जायेगा। आवंटी को भवन में किसी भी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किए जाने पर विधिक कार्यवाही कर विक्रय–विलेख एवं आवंटन/पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा।

11.2 पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में, जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा व्यक्ति उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो।

11.3 परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा–उपधारा के रहते हुए भी किन्ही विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

11.4 इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों के लिए सम्बन्धित नगर स्थित दीवानी न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा।

12. कराधान विधियाँ

G.S.T. सम्बन्धी प्राविधान

12.1 जिस सम्पत्ति का निर्माण ग्राहकों की धनराशि से अर्थात एस.एफ.एस. योजना के अन्तर्गत किया गया हो, उस पर नियमानुसार G.S.T. देय होगी।

12.2 परिषद द्वारा स्वयं के श्रोतों से निर्माण कार्य को पूर्ण कर विक्रय किए जाने पर बिक्रीत भवन के विरूद्ध जी.एस.टी. देय नहीं होगी।

12.3 साइट प्लान चार्जेज, भवन परिवर्तन शुल्क, प्री पेड मीटर चार्जेज, विद्युत संयोजन एवं सुरक्षा इत्यादि सेवाओं हेतु 18% की दर से G.S.T. देय होगी।

12.4 पंजीकरण पुस्तिकाओं की बिक्र पर 5% की दर से G.S.T. देय होगी।

12.5 G.S.T. की दरें वर्तमान में प्रभावी शासनादेशों के अधीन निर्धारित एवं परिवर्तनीय हैं। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा इनकी दरों में संशोधन किए जाने की स्थिति में आवंटियों/क्रेताओं को यथा संशोधित दरों से G.S.T. का भुगतान करना होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशः-

1 आवेदन पत्र हिन्दी या अग्रेंजी में भर सकते है। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जायें

2 आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 6 एवं 7 का) हिन्दी व अग्रेंजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें

3 अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनाये भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंगेजी के बडे अक्षरो (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते है।

4 आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसें : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति–पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा

6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।

7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोडा जायें।

8 आवेदन पत्र में बिन्दु–6 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरूष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति–पत्नी) हेतु 'HW' भरें।

9 सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण में से 31/63 एवं 45/75 में किसी एक को भरना होगा।

10 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित ''आरक्षण'' नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा। आरक्षित आवेदक को आरक्षण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण कोड	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O

आरक्षण वर्ग के आवेदकों को सम्पत्ति आवंटन के उपरान्त आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत कराकर देना होगा। उक्त के उपरान्त ही आवंटन पत्र निर्गमन की कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रो में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ–जहाँ वे प्रयुक्त किये गये है, उनके निम्नलिखित अर्थ होगें:–

आवेदक का परिवार :–

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित है।

आय :–

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त स्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड/भवन :–

''भवन या मकान'' शब्द में ''फ्लैट'' भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति :–

सम्पत्ति का तात्पर्य विकसित आवासीय भूखण्ड अथवा निर्मित भवन/फ्लैट एवं ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) :–

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन–पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण–पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर :–

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवओं से तात्पर्य :–

उ0प्र0 राज्य की सेवा में तथा इनके अधीन गठित नियमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों से है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :–

(1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापो में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतो की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या जिसमें वीरगति प्राप्त की हों।

(2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डैस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :–

सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

नेत्रहीन तथा दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य :–

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन/दिव्यांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :–

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य :–

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण /जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य:–

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

विनियामक प्राधिकरण का तात्पर्य

उत्तर प्रदशे भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से है।

आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

आरक्षण श्रेणी	कोड
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछला वर्ग	03
(अनारक्षित) सामान्य वर्ग	04

हारिजेन्टल आरक्षण	कोड
वर्तमान विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो	G
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका	B
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D
वरिष्ठ नागरिक (वृद्धजन)	O
विस्थापित	W

शहर	कोड
मेरठ	083

योजना कोड	**251**

सम्पत्ति श्रेणी	कोड
45 / 75	R4
31 / 63	R4

लिंग	कोड
स्त्री	F
पुरूष	M
संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति–पत्नी)	HW

भुगतान	
नकद	01
किश्त	02

योजना के क्रियान्वयन की जानकारी हेतु परिषद के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं

इं. एस.पी.एन. सिंह
अधीक्षण अभियन्ता
द्वितीय वृत्त, मेरठ
मो. : 8795810050

इं. प्रमोद कुमार
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–5, मेरठ
मो. : 8795810040

योजना में पंजीकरण/आवंटन की जानकारी हेतु परिषद के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं

महेन्द्र प्रसाद
संयुक्त आवास आयुक्त
मेरठ जोन, मेरठ
मो. : 9935837073

श्री नरेश बाबू
सम्पत्ति प्रबन्धक
मेरठ
मो. : 8795810670

पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंकों की सूची

बैंक शाखाओं के नाम व पते जहाँ पर पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन-पत्र तथा पंजीकरण धनराशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध है

पंजीकरण 05-11-2018 से प्रारम्भ   पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने हेतु अन्तिम तिथि 05-01-2019

क्रमांक	बैंक का नाम एवं पता	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष संख्या
1.	पंजाब नेशनल बैंक, सेक्टर–2 शास्त्री नगर, मेरठ (नोडल शाखा)	श्री गरिमा वर्मा मुख्य प्रबन्धक	0121–2763813
2.	इण्डसइण्ड बैंक लिमिटेड 22 तेजगढ़ी शाखा, ग्राउण्ड फ्लोर, त्यागी मार्केट, गढ़ रोड, मेरठ	श्री करीम अहमद प्रबन्धक	0121–2600772

ऑनलाईन की सुविधा भी उपलब्ध है।

1. पंजीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाईट www.upavp.in पर उपलब्ध है। परिषद के आवंटित भूखण्ड की किश्तों को ऑन लाईन जमा करने की सुविधा परिषद की वेबसाइट www.upavp.in के लिंक "Ledger View@Online Payment" पर उपलब्ध है। कृपया इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

नोट :–

- उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका जी.एस.टी. सहित निर्धारित शुल्क रु. 300/– देकर प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर कार्यालय समय से उपलब्ध होगी।
- पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उल्लिखित बैंक में ही जमा होंगे।

रू0-10.00 के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

शपथ-पत्र

समक्षः-आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

मै श्री/श्रीमती/कु0 .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... उम्र .... निवासी .... शपथ पूर्वक ब्यान करता/करती हूँ किः–

1 मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक करता / करती हूँ कि मैने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तो दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता / देती हूँ।

2 मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे के उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की किसी भी योजना के अन्तर्गत और उ.प्र. के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं हैं।

3 जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड / भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना में तुरन्त परिषद को दूँगा / दूँगी।

4 मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष 2017–18 (पंजीकरण भरते समय की तिथि के पूर्व के वर्ष का उल्लेख करें) में समस्त स्रोतों से मेरी कुल आय वार्षिक (रु. ....) थी जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित सम्बन्धियों की आय सम्मिलित है।

5 मैं .... यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती ... . जो रिश्ते में मेरे / मेरी .... हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता /करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री /श्रीमती .... जो मेरे /मेरी .... है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता / करती हूँ।

6 मैं एतद्द्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 5 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझकर परिषद् को दिया है तो परिषद् को मेरे विरूद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने का, जो उपयुक्त समझे, अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

परिषद की जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या–11, सेक्टर–5 मेरठ में आवासीय भवनों के आन–लाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

परिषद की जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या–11, मेरठ में विभिन्न आवासीय भवनों के आन–लाइन पंजीकरण **(Online Registration)** में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन किया जा सकता है :–

आन–लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- आन–लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट **www.upavp.in** पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration of Flats/Houses/Plots" पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब–पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उस पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना/भवन की समस्त जानकारियाँ भली–भाँति पढकर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा–नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई–मेल, पैन नम्बर, निवास–पता, इच्छित सम्पत्ति, पंजीकरण शुल्क के भुगतान का प्रकार, स्कैन्ड फोटोग्राफ/हस्ताक्षर एवं आरक्षण श्रेणी आदि विवरण आन–लाईन अपलोड/फीड किये जायेगें।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन–लाईन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आई0डी0/पासवर्ड के साथ–साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा–निर्देश सहित प्राप्त होगें।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा **ई–रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रुप से प्राप्त किया जायेगा।**

पंजीकरण धनराशि का भुगतान :–

☐ उपरोक्तनुसार आन–लाईन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट–आउट में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगीं:–

- Visit website www.upavp.in & click on link "Online Registration of Flats/Houses/Plots "
- Click on concerning scheme's webpage link.
- Click on 'Apply Online' link & provide basic details and select property.
- Please verify the registration details and click 'Confirm' button.
- Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as **Netbanking/Debit/Credit Card.**
- If applicant selected **'e-challan'** payment mode, then 'e-challan' will be generated.
- Take the printout of 'e-challan' and pay registration fee at nearest **HDFC branch**.

☐ उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को Transaction ID

प्रदान की जायेगी।

(**नोट**–डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक ''**उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद**'' के पक्ष में देय होना चाहिए।)

☐ उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि के भुगतान उपरान्त प्राप्त हुई Transaction ID का उपयोग करते हुए आवेदन सम्बन्धी अन्य जानकारियाँ / प्रमाणपत्र / प्रपत्र दर्ज / अपलोड की जायेगी।

☐ आन–लाईन पंजीकरण द्वारा आवेदन से सम्बन्धित रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ (**फोटो आई0डी0 प्रमाण, जाति / आरक्षण प्रमाणपत्र, नोटरी घोषणा–पत्र, ई–चालान की प्रति आदि**) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेगें :–

पंजीकरण हेतु पत्राचार का पता–

"सम्पत्ति प्रबंधक
सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
आफिस काम्पलेक्स सेक्टर–9, शास्त्रीनगर,
मेरठ (उ0 प्र0)"
पिनकोड–250004

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय

हमारा यही प्रयास - आपका अपना आवास

IS 15700 : 2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : http://www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com

विस्तृत जानकारी परिषद के

टॉल फ्री 1800-180-533

पर सम्पर्क करें या परिषद की वेबसाइट पर लॉगिन करें।

मूल्य ₹ 300/-(जी.एस.टी. सहित)